विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

वनों की प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्राकृतिक जलवायु समाधान अपरिहार्य हैं

वन प्रतिरोधक क्षमता का तात्पर्य है कि वन किस हद तक प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के प्रभावों से उबर सकते हैं। यह क्षमता उन वनों को परिभाषित करती है जो संकटों का सामना कर पुनः अपनी पारिस्थितिकीय स्थिति को बनाए रखते हैं। प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग किया जाता है जैसे जैव विविधता, वनस्पति संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। प्रतिरोधक क्षमता वाले उष्णकटिबंधीय वन वे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, सूखा, आग आदि के बाद भी तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में अमेज़न वर्षावन को देखा जा सकता है जो कई दशकों से कई प्रकार के संकटों का सामना करते हुए भी अपने जैव विविधता को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। इन वनों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न संकेतकों का उपयोग करते हैं जैसे वनस्पति का घनत्व, प्रजातियों की विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यक्षमता।

वन प्रतिरोधक क्षमता का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहले, यह वन संरक्षण में सहायक होती है। प्रतिरोधक वनों का संरक्षण करने से अन्य वनों की तुलना में इनकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखना आसान होता है। वन बहाली में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रतिरोधक वनों को बहाल करने के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं। प्रतिरोधक वनों का महत्व कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भी होता है। ये वन जल चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही, प्रतिरोधक वनों में फूलों और जीवों की विविधता अधिक होती है, जिससे जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलती है। कार्बन अवशोषण में भी प्रतिरोधक वनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये वन अधिक कार्बन को अवशोषित कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार, प्रतिरोधक वनों का संरक्षण और बहाली जलवायु समाधान के रूप में महत्वपूर्ण है।

स्थिरता की दृष्टि से भी प्रतिरोधक वन महत्वपूर्ण होते हैं। ये वन न केवल पर्यावरण को संरक्षित करते हैं बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशिया के वन स्थानीय समुदायों को खाद्य, जल और औषधीय पौधों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, पर्यटन के माध्यम से भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, जैव विविधता को बनाए रखना आवश्यक है। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति वन को विभिन्न संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है। दूसरा तरीका है वनस्पति संरचना को बनाए रखना, जिससे वन की स्थिरता बढ़ती है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। वे वन संरक्षण और बहाली में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

वनों और वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बचाना एक प्राकृतिक जलवायु समाधान है। ये वन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, जैव विविधता को बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ये स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी समर्थन प्रदान करते हैं। इसलिए, इन वनों का संरक्षण और बहाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। वन संरक्षण और बहाली के लिए नीतियों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके साथ ही, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, जिससे लोग वनों के महत्व को समझ सकें और उनके संरक्षण में भाग ले सकें। इस प्रकार, हम एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

वन प्रतिरोधक क्षमता, जिसे पारिस्थितिक प्रतिरोधक क्षमता के रूप में भी समझा जाता है, वन पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र की उस क्षमता को दर्शाती है जो उसे प्राकृतिक और मानवजनित खतरों से उबरने में सक्षम बनाती है। जैसा कि पहले कहा गया है, इसमें तूफान, सूखा, आग, कीट संक्रमण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। प्रतिरोधक क्षमता के बिना, वन पारिस्थितिकी तंत्र इन खतरों के सामने अस्थिर हो सकते हैं और अपनी पारिस्थितिकीयकार्यक्षमताओं को खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेज़न के वर्षावन जो कि विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वनों में से एक है,ने कई प्राकृतिक और मानवजनित खतरों का सामना किया है। इसके बावजूद,अपनी जैव विविधता को संरक्षित रखा है और यही इसकी उच्च प्रतिरोधक क्षमता का संकेत है।

> **कार्बन अवशोषण की दृष्टि से, प्रतिरोधक वन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं और इसे दीर्घकालिक रूप से संग्रहीत करते हैं। यह कार्बन अवशोषण प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव कम होता है।**

प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग किया जाता है। इनमें जैव विविधता, वनस्पति संरचना, और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं शामिल हैं। जैव विविधता प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि विविध प्रजातियों की उपस्थिति वन को विभिन्न संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है। वनस्पति संरचना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सुसंगठित वन संरचना पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन ने दिखाया कि उच्च जैव विविधता वाले वन सूखा के प्रभावों से तेजी से उबरते हैं।

प्रतिरोधक वनों का संरक्षण वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह संरक्षण न केवल जैव विविधता को बनाए रखता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को भी बनाए रखता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। वन बहाली के संदर्भ में, प्रतिरोधक वनों को बहाल करने के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और ये तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की बात करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, मध्य अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में वन बहाली परियोजनाओं ने दिखाया है कि उच्च प्रतिरोधकता वाले वन तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं और अधिक कार्बन का अवशोषण करते हैं।

कार्बन अवशोषण की दृष्टि से, प्रतिरोधक वन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं और इसे दीर्घकालिक रूप से संग्रहीत करते हैं। यह कार्बन अवशोषण प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव कम होता है। एक अध्ययन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय वनों में कार्बन संठाहण की क्षमता उच्च होती है, विशेषकर जब वे उच्च जैव विविधता वाले होते हैं। इस प्रकार, प्रतिरोधक वनों का संरक्षण और बहाली जलवायु परिवर्तन को कम करने में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

स्थानीय समुदायों की आजीविका के संदर्भ में भी प्रतिरोधक वनों का महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये वन स्थानीय समुदायों को खाद्य, जल, और औषधीय पौधों की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशिया के वनों में रहने वाले समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा, पर्यटन भी इन वनों से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। प्रतिरोधक वनों का संरक्षण स्थानीय समुदायों को स्थायी आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है।

उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, जैव विविधता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति वन को विभिन्न संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है। दूसरा तरीका है वनस्पति संरचना को बनाए रखना, जिससे वन की स्थिरता बढ़ती है। तीसरा तरीका है स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदाय वन संरक्षण और बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना महत्वपूर्ण है ताकि लोग वनों के महत्व को समझ सकें और उनके संरक्षण में सक्रिय भाग ले सकें।

अंत में, उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। वन संरक्षण और बहाली के लिए नीतियों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके साथ ही, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, जिससे लोग वनों के महत्व कोसमझ सकें और उनके संरक्षण में भाग ले सकें। इस प्रकार, हम एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

वन प्रतिरोधक क्षमता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो वन पारिस्थितिक तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रतिरोधक क्षमता का महत्व न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। जैव विविधता, वनस्पति संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रतिरोधक क्षमता के मुख्य घटक हैं। उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण और बहाली जलवायु परिवर्तन को कम करने, जैव विविधता को बनाए रखने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयासों और नीतियों के माध्यम से हम उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

वन प्रतिरोधक क्षमता उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र में विनाशकारी परिवर्तनों से बचाव कर सकती है। परिवर्तन सामान्य है, लेकिन यह अचानक और कठोर विपरीत स्थिति में परिवर्तित हो सकता है। हालांकि विभिन्न घटनाएँ ऐसे परिवर्तनों को उत्प्रेरित कर सकती हैं, अध्ययन बताते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता की हानि आमतौर पर वैकल्पिक स्थिति की ओर ले जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों के सतत प्रबंधन की रणनीतियों को प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने पर केंद्रित होना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना न केवल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और जैव विविधता को बनाए रखेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंगप्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)

यूएपीए मास्टरमाइंड को जेल और प्यादे को ज़मानत

सूर्य प्रतापसिंह राजावत

हाल ही में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा एक बड़ा साज़िश का मामला, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई थी, दो आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न मिलने के कारण काफी चर्चा में है, जिन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए 1967), आइपीसी और अन्य कानूनों के तहत चार्जशीट दायर की गई है। यह बात शायद सोशल मीडिया पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर और रिटायर्ड जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक पैनल ने, जिसके मॉडरेटर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, इस पर चर्चा की। ये सभी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। कपिल सिब्बल ने इस पैनल चर्चा को वायरल किया, जो कई सवाल और आरोप उठाती है, क्योंकि इस बहस को इस तरह की बातों से नुकसान पहुँचाया गया कि अगर कपिल सिब्बल अपने क्लाइंट के लिए ज़मानत नहीं दिलवा पाते हैं, तो बेंच अच्छी नहीं है। पैनल में यह कहने की हिम्मत थी कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया वाली इस बेंच को इतने महत्वपूर्ण मामले को नहीं देखना चाहिए था। चर्चा यह थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भविष्य में इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। पैनल में ईमानदार चर्चा की कमी थी। अगर सिब्बल ने प्रॉसिक्यूशन के वकील को बुलाया होता तो स्वस्थ कानूनी विचार-विमर्श भारत के सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। पैनल चर्चा से ऐसा लगता है कि ऐसे नए दर्शकों को, जिन्हें आपराधिक न्यायशास्त्र का कानूनी ज्ञान नहीं है, यह बताया और मनवाया जा रहा है कि न्यायपालिका पतन की स्थिति में है। यह वीडियो कोर्ट को डराने और उसकी अवमानना के सभी तत्वों को पूरा करता है। सुप्रीम कोर्ट की मीडिया ट्रायल के बादलों को हटाने के लिए फैसले की कानूनी रीडिंग और बर्ड्स व्यू ज़रूरी है। न्यायपालिका संस्था में भारत के लोगों का विश्वास जगाने के लिए कानूनी बिरादरी का यह कर्तव्य है कि वे फैसले की मुख्य बातों को सामने लाएं। फैसला साफ तौर पर लॉजिकल हेडिंग्स के साथ लिखा गया है। मौजूदा चर्चा के लिए मुख्य चार बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

1. लंबे समय तक जेल और अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक दलील – एन के नजीब, गुरविंदर सिंह, दयामणि मायमोनी के मामलों में रेशियो डेसीडेंडी की सराहना करते हुए, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 को उन मामलों में खालीपन में नहीं समझा जा सकता जहां आरोप यूएपीए जैसे विशेष कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से संबंधित हैं। फैसले में कहा गया है कि सेक्शन 207 सीआरपीसी के तहत पालन के चरण में, कुछ आरोपियों ने कॉपी लेने से इनकार कर दिया और प्री-चार्ज चरण में देरी में योगदान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत के लिए सिर्फ देरी के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार को सामूहिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना है। इसलिए लंबे समय तक जेल में रखने के पैरामीटर को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

2. यूएपीए केसेक्शन 43डी (5) का वैधानिक ढांचा और जमानत के चरण में न्यायिक जांच का दायरा – फैसले में कहा गया है कि यूएपीए एक्ट के अध्याय 4 और 6 आपराधिक दायित्व को केवल आतंकवादी कृत्य के अंतिम निष्पादन तक सीमित नहीं करते हैं। वे तैयारी, सुविधा, उकसाने और साजिश तक अपराध को बढ़ाते हैं, यह मानते हुए कि कानून द्वारा संबोधित किया जाने वाला खतरा अक्सर हिंसा के किसी भी खुले कृत्य से बहुत पहले ही सामने आ जाता है। इस प्रकार यूएपीए कानून अपराध की घटना-आधारित अवधारणा के बजाय प्रक्रिया-आधारित अवधारणा पर आगे बढ़ता है। धारा 43डी (5) की एक खास बात इसमें "ऐसे व्यक्ति" का साफ तौर पर ज़िक्र है। ऐसी जांच ज़रूरी है जो केस पर नहीं, बल्कि आरोपी पर आधारित हो।

3. यूएपीए की धारा 15 के तहत "आतंकवादी कृत्य" का दायरा और वैधानिक संदर्भ – फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि धारा 15 के तहत बताए गए परिणाम आतंकवाद के बारे में विधायी समझ को स्पष्ट करते हैं। मृत्यु या संपत्ति के विनाश के अलावा, यह प्रावधान स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्यों को भी शामिल करता है जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को बाधित करते हैं, साथ ही ऐसे कृत्य जो राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। यह संसद की इस मान्यता को दर्शाता है कि संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरे ऐसे आचरण से उत्पन्न हो सकते हैं जो नागरिक जीवन या सामाजिक कामकाज को अस्थिर करते हैं, भले ही तत्काल शारीरिक हिंसा न हो। अधिनियम आगे यह भी मानता है कि ऐसे कृत्य सामूहिक और समन्वित प्रयास का परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि धारा 18 साजिश, प्रयास, उकसाने, सलाह देने, भड़काने और आतंकवादी कृत्य को जानबूझकर सुविधाजनक बनाने, साथ ही इसे करने की तैयारी के कृत्यों को दंडनीय बनाती है। इस प्रकार वैधानिक योजना यह मानती है कि आतंकवादी गतिविधि में एक सामान्य गैरकानूनी उद्देश्य की ओर अलग-अलग भूमिकाएं निभाने वाले कई लोग शामिल हो सकते हैं।

4. मुख्य साजिशकर्ताओं और दूसरों के साथ व्यक्तिगत भूमिका और व्यवहार में अंतर – फैसले में चर्चा की गई है कि साजिश का कानून बताता है कि कैसे कई व्यक्ति, अलग-अलग स्तरों पर और अलग-अलग समय पर काम करते हुए, एक सामान्य योजना से बंधे हो सकते हैं। यह सिद्धांत दायित्व के प्रश्न का उत्तर देता है। यह अपने आप में इस अलग प्रश्न का उत्तर नहीं देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपराध साबित होने से पहले कितने समय तक और किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए जमानत का फैसला अनिवार्य रूप से एक अलग स्तर पर होता है। इसके लिए अदालत को यह देखना होता है कि प्रत्येक आरोपी पर क्या आरोप लगाए गए हैं, वह आरोप वैधानिक तत्वों में कैसे फिट बैठता है, और क्या उस स्तर पर निरंतर हिरासत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वैध उद्देश्य को पूरा करती है। यह अभ्यास साजिश के अभियोजन मामले को खत्म नहीं करता है। यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे से पहले की हिरासत मनमानी या स्वचालित न हो, और वैधानिक प्रतिबंध तर्क, अनुपात और व्यक्तिगत आरोप के प्रति निष्ठा के साथ संचालित हो।

फैसले में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि अनुच्छेद 21 के अधिकार, हालांकि पूर्ण नहीं हैं, राज्य और अदालत को अपने सामने मौजूद विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में निरंतर हिरासत को सही ठहराने की आवश्यकता होती है। सभी आरोपियों के साथ उनकी भूमिकाओं की परवाह किए बिना समान व्यवहार करने से मुकदमे से पहले की हिरासत को व्यक्तिगत परिस्थितियों से अलग एक दंडात्मक तंत्र में बदलने का जोखिम होगा। संवैधानिक जनादेश एक अलग तरह की जांच की मांग करता है: जहां लंबे समय तक हिरासत उन लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है जिनकी भूमिका सीमित है, वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन के लिए सशर्त रिहाई की ज़रूरत हो सकती है, जबकि यही संतुलन उन लोगों के लिए अलग तरह से झुक सकता है जिन पर अपराध को अंजाम देने का आरोप है। प्रबंधकीय ज़िम्मेदारी और सहयोगी या बाहरी आचरण के माध्यम से दूसरों की भागीदारी के लिए ज़िम्मेदार आरोपियों के बीच उचित वर्गीकरण है। इसलिए, मास्टरमाइंड जो संख्या में दो हैं, उनके लिए जेल और बाकी पांच लोगों के लिए ज़मानत। इसलिए, बिना किसी कठिनाई के यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फैसला अपने आप में सब कुछ कहता है, क्योंकि यह जैसे विशेष कानून और अनुच्छेद 21 की संवैधानिक दलील के साथ-साथ साज़िश के कानून और लंबे समय तक कारावास को ध्यान में रखते हुए ज़मानत याचिका के फैसले के लिए दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड को जेल और प्यादे को ज़मानत।

सूर्य प्रतापसिंह राजावत
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।

खाली सीटें और खोखली व्यवस्था

प्रो. अशोक कुमार

भारतीय चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में वर्ष 2025 एक टर्निंग पॉइंट, निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा। दशकों तक हमने मेडिकल सीटों की कमी का विलाप किया, लेकिन आज नीट, पी जी और सुपर-स्पेशियलिटी की लगभग 20 प्रतिशत सीटों का खाली रह जाना एक नई और भयावह कहानी बयां कर रहा है। यह रिक्तता केवल सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उस विश्वास की रिक्तता है जो एक छात्र अपनी शिक्षा व्यवस्था पर करता है।

इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू कट-ऑफ पर्सेंटाइल में की गई भारी कटौती है। सीटों को भरने की हताशा में नियामक संस्थाओं ने पात्रता के मानकों को इतना नीचे गिरा दिया है कि अब शून्य या उसके निकट अंक पाने वाले भी विशेषज्ञता की दौड़ में शामिल हो रहे हैं।

पर्सेंटाइल कम करना इस बात का स्वीकार है कि व्यवस्था अब योग्य डॉक्टर बनाने के बजाय केवल सीटें भरने और राजस्व बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जब प्रवेश का मापदंड योग्यता के बजाय केवल सीट भरने की औपचारिकता रह जाता है, तो चिकित्सा जैसे संवेदनशील पेशे की बौद्धिक और नैतिक नींव हिल जाती है। यह उन मेधावी छात्रों के साथ भी अन्याय है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तलाश में हैं। पिछले दशक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। कागजों पर यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके विपरीत है। चिकित्सा शिक्षा का आधार क्लिनिकल एक्सपोज़र (मरीजों के साथ अनुभव) है। आज कई कॉलेजों में शानदार इमारतें तो हैं, पर वार्ड खाली

■ मेडिकल शिक्षा का बदलता यथार्थ

हैं। छात्र समझ चुके हैं कि डिग्री भले ही पैसे या कम पर्सेंटाइल से मिल जाए, पर पेशेवर विश्वसनीयता केवल मरीजों के बीच रहकर ही अर्जित होती है।

एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे आधारभूत विषयों में पीजी की सीटें खाली पड़ी हैं। इन क्षेत्रों में करियर के सीमित अवसर और कम सामाजिक सम्मान ने इन्हें प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया है। मानकों में ढील देकर सेवानिवृत्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति ने इस क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण की जीवंतता को समाप्त कर दिया है।

निजी मेडिकल कॉलेजों में घोस्ट फैकल्टी (कागजी शिक्षक) और निरीक्षण के समय खड़े किए गए नकली मरीज एक खुला रहस्य हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रयासों के बावजूद, यह भ्रष्टाचार शिक्षा की गुणवत्ता को खानापूर्ति तक सीमित कर रहा है। जब छात्र देखते हैं कि उनके शिक्षक ही वहां स्थायी नहीं हैं, तो उनका मोहभंग होना स्वाभाविक है।

समाधान: व्यवस्था के पुनरुद्धार का मार्ग इस खोखली होती व्यवस्था को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सुधारों की आवश्यकता है:

सीटें भरने के लिए पर्सेंटाइल को न्यूनतम स्तर पर ले जाने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। पात्रता के मानक ऊंचे होने चाहिए ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। यदि सीटें खाली रहती हैं, तो यह व्यवस्था के लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए, न कि मानकों को गिराने का बहाना। नेशनल मेडिकल काउंसिल को मान्यता का आधार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि एक्चुअल बेड ऑक्यूपेंसी और लाइव सर्जरी डेटा को बनाना चाहिए। डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लागू करना अनिवार्य है। इन विषयों को आकर्षक बनाने के लिए विशेष रिसर्च ग्रांट और उच्च वेतनमान देना होगा। विशेषज्ञों को फार्मास्युटिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में प्राथमिकता देकर उनके करियर के दायरे को विस्तार देना होगा। युवा डॉक्टरों को शिक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए बेहतर कार्य वातावरण देना होगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों पर निर्भरता कम कर युवा ऊर्जा को प्राथमिकता देनी होगी। निजी कॉलेजों में शिक्षा के बाजारीकरण और छिपे हुए खर्चों को रोकना होगा। एक पारदर्शी और किफायती फीस ढांचा (2020 के अनुरूप) सुनिश्चित करना होगा ताकि मेधावी छात्र केवल आर्थिक कारणों से अच्छी सीटों से वंचित न रहें।

निष्कर्ष--खाली सीटें और गिरता पर्सेंटाइल इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय मेडिकल छात्र अब डिग्री की भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय दक्षता को चुन रहा है। यह व्यवस्था के लिए अंतिम चेतावनी है। यदि हमने मेडिकल कॉलेजों को केवल डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियां बने रहने दिया, तो भविष्य में संकट सीटों की कमी का नहीं, बल्कि भरोसे की कमी का होगा। सच्चा समाधान सीटों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि सीटों को गुणवत्ता/योग्यता से भरने में है।

–प्रो. अशोक कुमार,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

अंधकार में भी प्रकाश की यह किरण

अभिरुचि शर्मा

पहली वर्षा और धरती की सौंधी महक का सहज-स्वभाविक नाता है। आषाढ़ की पहली बूंद धरती पर गिरते ही धरती का सौंधापन स्वतः बाहर निकल आता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ-दो युवा विद्यार्थी आकाश में बने इन्द्रधनुष को देख अचरज से अचंभित हो कह रहे थे कि कितना बड़ा इन्द्रधनुष!

अवध नाम के भवन के बाहर हरी-भरी वाटिका के पास खड़े यह विद्यार्थी मुझे बेहद जिज्ञासु और उत्सुक जान पड़े। आम, नीम, जामुन, मौलश्री और अनेक लताओं से आच्छादित यह वाटिका भवन मुझे बेहद दिव्य और अनुपम जान पड़े। मेरे कदम स्वतः स्फूर्त उधर ही बढ़ चले। शंका और संकोच से जब मैंने अंदर झांका तो अवाक रह गई। मानों हम भारत के लोग विश्व का पालन-पोषण और संरक्षण करने वाली एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होकर समस्त भू-मंडल एवं ब्रह्माण्ड को शांति, समृद्धि, समरसता और परस्पर पूरकता से भर रहे हों। वहाँ बहुत ही अनुशासित उन जैसे 15-20 विद्यार्थी अपने-अपने अध्ययन-ध्यान में इतने निमग्न थे कि मुझे लगा जैसे मैं महर्षि जाबालि के आश्रम में पहुंच गई हूँ, क्योंकि किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके प्रबुद्ध वर्ग पर निर्भर होता है और यही वर्ग ईमानदार, कर्मठ, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वही सही समय पर देश को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा।

इसी अभिरुचि से, त्याग से, तत्परता से, कर्मठता से युवा वर्ग जब देश के दमित और दरिद्र वर्ग की बाँह पकड़ अपने बाहुबल का सहारा देकर उठ खड़े होने का संबल दे तो सहजता, समानता स्वर्णिम हो उठेगी। ऐसा लगा जैसे अफलातून ने ऐथेंस के निकट अपने दर्शन शास्त्र के स्कूल की स्थापना की हो तथा जिसका नाम ऐकेडेमस रखा हो। ये विद्यार्थी वह प्रतियोगी परीक्षार्थी थे जो अपने-अपने गाँव छोड़कर महानगर में परीक्षा की तैयारी के लिए आये थे। इनका इतना दत्तचित होकर अध्ययन, मनन-चिंतन देखकर कोई भी अभिभूत हो जाएगा। ये विद्यसर्थी ना केवल अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वरन दलित-दमित कचरा बीनने वाले बच्चों को कुछ समय देकर अक्षर ज्ञान, गिनती-पहाड़े, अंग्रेजी भी सिखा रहे थे, साथ ही स्वच्छता का पाठ भी पढ़ा रहे थे। यही मानवता के लिए जीने-मरने और कुछ कर गुजरने का श्रेष्ठत्तम ढंग है क्योंकि इसी सोच में श्वास लेकर परिश्रम और तकनीकी के माध्यम से वैभव प्राप्त किया जा सकता है। इस अंधकार में भी प्रकाश की जो यह किरण प्रगट हुई है उससे निश्चित ही एक दिन भारत सहित समस्त भू-मंडल आलोकित होगा। यह दायित्व बोध जाग्रत होना सामान्य-सी दिखाई देने वाली एक असाधारण ईश्वरीय घटना है, यही हमारी सुख की अनुभूति करने का बीज मंत्र है। हम पुनः अपने भावलोक सृष्टि को सुखद, समरस न्याय परायण और समृद्ध बनाने में सफल हो सकें यही नियति का निर्देश है और इसी में राष्ट् और विश्व का मंगलमय भविष्य निहित है क्योंकि व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है, अतः आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन ही अच्छे संबंधों की आधारशिला है।

यह असाधारण अनुभव मेरे लिए मानो स्थाई हो गया। यही मानवता के लिए जीने-मरने और कुछ कर गुजरने का श्रेष्ठतम ढंग है। यह कहना सर्वथा तर्क सम्मत है कि अब भारत के राम ने भारत की कमान संभाल ली है।

–अभिरुचि शर्मा,
स्वतंत्र लेखिका

राशिफल रविवार 25 जनवरी, 2026

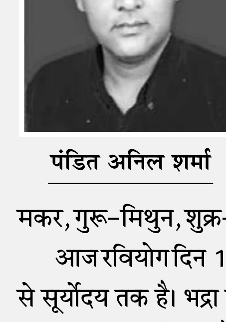
पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2082, रेवती नक्षत्र दिन 1:36 तक, सिद्ध योग दिन 11:46 तक, गर करण दिन 11:55 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:36 से मेष राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 1:36 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 1:36 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 11:11 से आरम्भ होगी। आज सूर्य रथ सप्तमी, आारोग्य और अवला सप्तमी, भानु सप्तमी, मन्वादि, गंगा में अरुणोदय स्नान है। पंचक दिन 1:36 पर समाप्त होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 8:39 से 9:59 तक, लाभ-अमृत 9:59 से 12:39 तक, शुभ 1:59 से 3:19 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 5:59

मेष
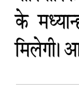
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

वृष
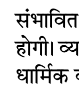
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मिथुन
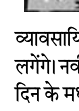
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। दिन के मध्यान्ह अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कर्क
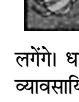
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह
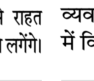
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कन्या
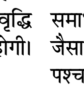
परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।

तुला
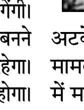
महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
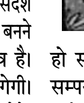
परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर
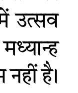
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कुंभ
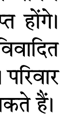
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यक्तिगत/पारिवारिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।

मीन
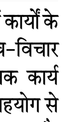
मनः स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।